2

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 129 / 2021 (Bank Case)

GCMS NO – 2021/ 331

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. गौरव त्यागी पुत्र श्री अदेश कुमार त्यागी (ऋणी)
पता– मकान नं. 39, न्यू मयंक स्कूल की गली, बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा, लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान–324001,
2. श्रीमती समीक्षा त्यागी पुत्री श्री बलवीर सिह त्यागी (सहऋणी)
पताः– 134–के, कोटा रोड, टैगोर स्कूल के पास, केशवरायपाटन, जिला– बून्दी राजस्थान–323601
3. दिनेश्वर प्रसाद पुत्र श्री मांगी प्रसाद सिंह (सहऋणी–बंधककर्ता)
पता– 31, न्यू मयंक स्कूल की गली, बजरंग नगर पुलिस लाईन, कोटा, अखावा, जिला कोटा राजस्थान–324001,
दूसरा पता– सम्पत्ति– प्लाट नं. 39, बजरंग नगर, कोटडी, पुलिस लाईन रोड कोटा, जिला कोटा राजस्थान–324001

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17-05-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी '' एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था 02 मई 2019 को 18,00,000 / – रूपये (अक्षरे अठारह लाख रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **दिनेशवर प्रसाद पुत्र श्री मांगी प्रसाद सिंह की सम्पत्ति प्लाट नं. 39, बजरंग नगर, कोटडी, पुलिस लाईन रोड कोटा, जिला कोटा राजस्थान–324001 की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 87.78 स्क्वायर यार्ड है, जो जरिये नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 4795, दिनांक 10. 09.2007 से दिनेश्वर प्रसाद सिंह के नाम जारी है। चतुर्थ सीमा पूर्व में रोड, पश्चिम में प्लाट नं. 38, उत्तर में रोड, दक्षिण में प्लाट नं. 50 है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 05.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि– 2144281 / – (रूपये अक्षरे इक्कीस लाख चौवालीस हजार दो सो इक्यासी) दिनांक 07.05.2021 तक शेष देय है व दिनांक 08.

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

05.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति व अग्रेंजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 02.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति व द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 02.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 07.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति व अग्रेंजी समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 02.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **दिनेशवर प्रसाद पुत्र श्री मांगी प्रसाद सिंह की सम्पत्ति प्लाट नं. 39, बजरंग नगर, कोटडी, पुलिस लाईन रोड कोटा, जिला कोटा राजस्थान–324001 की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 87.78 स्क्वायर यार्ड है, जो जरिये नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 4795, दिनांक 10.09.2007 से दिनेश्वर प्रसाद सिंह के नाम जारी है। चतुर्थ सीमा पूर्व में रोड, पश्चिम में प्लाट नं. 38, उत्तर में रोड, दक्षिण में प्लाट नं. 50 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)